# न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

**मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 37/2025**

**उनवान**

1. श्रीमती प्रेम कंवर पत्नि श्री अमरसिंह
2. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री अमरसिंह
3. सुभाष सिंह पुत्र श्री अमरसिंह
4. सुरेश कंवर पुत्री श्री अमरसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम खोरी तहसील पुष्कर जिला अजमेर

.....**प्रार्थी**

**बनाम**

1. श्री गुरू प्रसाद तंवर, उपखण्ड अधिकारी महोदय पुष्कर जिला अजमेर।
2. रामसिंह पुत्र गोकलसिंह
3. श्रीमती गोपाल कंवर पत्नि श्री रामसिंह
4. भवानीसिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम खोरी तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
5. उप पंजीयक महोदय पुष्कर जिला अजमेर।
6. प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा पुष्कर जिला अजमेर
7. प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा पुष्कर जिला अजमेर ।
8. सहकारी मिनी बैंक कडैल जरिये प्रबन्धक
9. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर।

.....**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :— 1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री जगदीश चौधरी अभिभाषक अप्रार्थी 2

***आदेश*** दिनांक :—29.04.2026

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 23/2019 उनवानी प्रेम कंवर वगैरह बनाम रामसिंह व अन्य वर्तमान में श्री गुरू प्रसाद तंवर, उपखण्ड अधिकारी महोदय पुष्कर के समक्ष विचाराधीन है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 10.11.2025 नियत है। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी महोदय अत्यन्त ही रूची लेकर कार्यवाही कर रहे है। पीठासीन अधिकारी प्रकरण का निर्णय विपक्षी के पक्ष में करने पर आमादा है। अतः उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 23/2019 उनवानी प्रेम कंवर वगैरह बनाम रामसिंह व अन्य को किसी सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने बाबत् मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपखण्ड अधिकारी पुष्कर से प्रार्थना पत्र बाबत् टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त होकर शामिल मिसल है प्रकरण में नियत तिथि आज दिनांक को प्रार्थीगण की ओर से श्री महेन्द्र सिंह चौहान, अभिभाषक एवं अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री जगदीश चौधरी अभिभाषक उपस्थित आये। जिनके द्वारा प्रारम्भिंक आपत्ति प्रस्तुत की गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रारम्भिक आपत्ति का जवाब न देकर सीधे ही बहस चाही जाने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी 2 ने अपने प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रार्थीगण ने पूर्व में भी उक्त विवादित अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 29 व 28/2025 बउनवानी प्रेमकंवर व अन्य बनाम गुरूप्रसाद तंवर व अन्य दिनांक 18.06.2025 दर्ज होकर प्रस्तुत किया था जो पूर्व उपखंण्ड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल को संयोजित करते हुए प्रस्तुत किया गया था जबकि गौरव कुमार मित्तल तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के समक्ष उभय पक्षकारान के मध्य किसी भी तरह की कोई बहस नहीं हुई थी इसके उपरांत भी सारहीन मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उसी अनुरूप में अनावश्यक विलंब किये जाने और अप्रार्थीगण को नाजायत परेशान करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र पुनः बिना किसी वैधानिक कारण के प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण ने बिना किसी आधार के और बिना किसी आदेश के पारित हुए बिना ही एक अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें राजस्व अपील अधिकारी ने बिना दिनांक 18.06.2025 का कोई आदेश नहीं होते हुए भी अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपील स्वीकार कर मौके और राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपंखण्ड अधिकारी पुष्कर को धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र को 30 दिवस में निस्तारण करने के निर्देश दिये गये थे तथा निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि अधीनस्थ न्यायालय धारा 212 आरटी एक्ट में आदेश पारित करने पर उक्त अपीलीय न्यायालय का आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा। वर्तमान अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का पदस्थापन होने के पश्चात उपखंण्ड अधिकारी गुरूप्रसाद तवंर ने न्यायालय में किसी तरह का कोई कार्य ही नहीं किया ना ही उक्त पत्रावली पीठासीन अधिकारी गुरूप्रसाद तवंर के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई ना ही पीठसीन अधिकारी गुरूप्रसाद तंवर ने उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की कोई सुनवाई की गई है। न्यायालय के समक्ष आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र वास्ते बहस एवं निस्तारण हेतु कई समय से नियत चला आ रहा है लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र की बहस और निस्तारण से बचाने के लिये बिना किसी आधार और कारण के प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन प्रस्तुत किया है जो कारण विहीन होने से निरस्त नियम है। अतः अप्रार्थीगण का प्रारम्भिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में पारित करे।

वकील प्रार्थी ने प्रारम्भिक आपत्ति का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संख्या 23/2019 उनवानी प्रेम कंवर वगैरह बनाम रामसिंह व अन्य वर्तमान में श्री गुरू प्रसाद तंवर, उपखण्ड अधिकारी महोदय पुष्कर के समक्ष विचाराधीन है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 10.11.2025 नियत है। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी महोदय अत्यन्त ही

जिला कलक्टर
अजमेर

रूची लेकर कार्यवाही कर रहे है। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 एवं 3 से सांठ गांठ हो गयी है जिसके तहत वे सभी न्यायिक कार्यवाही को ताक में रखते हुए कार्यवाही कर रहे है उनके द्वारा प्रार्थीगण को स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे केस में कोई दम नहीं है मै इस प्रकरण को आगामी पेशी पर ही निर्णित कर दूंगा एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली को दिनांक 10.11.2025 में नियत कर दिया गया इस प्रकार प्रार्थीगण को उनसे न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। पीठासीन अधिकारी प्रकरण का निर्णय विपक्षी के पक्ष में करने पर आमादा है। पीठासीन अधिकारी महोदय पर अप्रार्थी संख्या 2 एवं 3 द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अत्यन्त ही दबाव बनवा रखा है उनके द्वारा अपना राजनैतिक दबाव बना रखा है साथ ही धन, बल का भी उपयोग कर रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को पूर्ण अंदेशा है कि आगामी पेशी को प्रार्थीगण के विरूद्व किसी न किसी प्रकार का कोई आदेश जरूर पारित कर देंगे। इसलिए प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा प्रार्थीगण को स्पष्ट रूप से ऐलानिया धमकी दे दी है कि उक्त आराजीयात को हक बहुत पैसे वाले धनाढ्य व्यक्ति एवं बाहुबली व्यक्तियों को बेचान कर रहे है वो इस जमीन का सलटारा अपने आप कर लेंगे तुम कब तक कोर्ट कचहरी की आड़ में छिपकर रहोगे तथा हमारे द्वारा पूर्व के उपखण्ड अधिकारी से भी तुम्हारे केस को खारिज करने सम्बंधित बातचीत कर रखी थी किन्तु उनका स्थानान्तरण अन्य जगह हो गया एवं नये पीठासीन अधिकारी से भी हमारी बातचीत हो रखी है वे जिस दिन कोर्ट लगेगी उसी दिन तुम्हारे इस केस बाबत सुनवाई कर इस केस को हमारे पक्ष में निर्णित कर देंगे। इस प्रकार से अप्रार्थीगण द्वारा दी गयी धमकी से भी प्रार्थीगण को यह पूर्णतया आभास हो चुका है कि पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण का निर्णय प्रार्थीगण के विरूद्व ही करेंगे। इसलिये उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जाना न्यायोचित है। विपक्षी संख्या 2 एवं 3 द्वारा अपने धन–बल के आधार पर पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में ले रखा है इसलिए पीठासीन अधिकारी विपक्षी के पक्ष में निर्णय पारित करने पर आमादा है। पीठासीन अधिकारी के समक्ष काफी वर्षो पुराने प्रकरण विचाराधीन है जिनमें कोई समुचित कार्यवाही नहीं कर केवल मात्र उक्त प्रकरण में ही छोटी छोटी तारीख पेशीयां देकर अतिशीघ्र प्रार्थीगण के विरूद्व प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा प्रार्थीगण को ऐलानिया रूप से कह दिया है कि हमनें उक्त प्रकरण को 2019 से लेकर 2025 तक खींच दिया है तथा हमने उक्त आराजीयात का विक्रय एक बहुत बडे व्यक्ति को कर दिया है तथा उक्त आराजीयात बाबत तुम्हारे राजस्व प्रकरण को आगामी 2–4 दिनों में ही हमारे द्वारा खारिज करवा दिया जावेगा हमारी साहब से इस बारे में पूरी बात हो चुकी है। अतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर श्री गुरू प्रसाद तंवर, उपखण्ड अधिकारी महोदय पुष्कर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 23/2019 उनवानी प्रेम कंवर वगैरह बनाम रामसिंह व अन्य को किसी सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने उभयपक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी उक्त अधीनस्थ न्यायालय के विवादित प्रकरण में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 28 व 29/2025 बउनवानी प्रेमकंवर व अन्य बनाम गुरूप्रसाद तंवर व अन्य दिनांक 18.06.2025 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है,

जिला कलक्टर
अजमेर

किन्तु उक्त आवेदन पर वादी द्वारा कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, यह भी पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने इस प्रकरण को निर्णित करने में किसी प्रकार की अनुचित शीघ्रता भी नहीं दिखाई है। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि हेतु शपथ पत्र प्रमाणित शुदा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं किया है? राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा आरआरडी 2003 पेज सं. 229 व आरआरटी. 2006–07 (एसयूपीपी.) पेज सं. 130 में न्यायिक दृष्टान्त प्रतिपादित किया है कि ''न्याय प्रशासन का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण विश्वसनीयता होनी चाहिये एवं किसी पक्षकार द्वारा उचित आधार पर किसी पीठासीन अधिकारी के पास हस्तान्तरित किया जा सकता है परन्तु इसी के साथ साथ निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार विचाराधीन प्रकरणों का समय समय पर निस्तारण करने का भी न्याय प्रशासन का अहम कर्त्तव्य है। इस परिप्रेक्ष में किसी पक्षकार को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह असत्य एवं आधारहीन तथ्यों के आधार पर उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्त का अनुचित लाभ लेते हुये अधीनस्थ न्यायालय पर अनावश्यक आक्षेप लगाये, दबाव डाले एवं न्यायिक प्रक्रिया में रूकावट उत्पन्न करें। इसी प्रकार यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ अपने शपथ पत्र के अलावा अन्य किसी तटस्थ गवाह/गवाहों के शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक माना गया है। विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर प्रार्थना पत्र अनुसार लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहे हैं और प्रार्थना पत्र के साथ किसी स्वतन्त्र गवाह/गवाहों के शपथ पत्र वास्तें ताईद प्रार्थना पत्र कथनों हेतु संलग्न नहीं किया है,प्रार्थीगण द्वारा बार बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना भी उसके उदेश्य पर प्रश्नचिन्ह लगाता है, उपरोक्त सभी तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर